

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम
 जिला-चित्तौड़गढ़ बनारस जिला-चित्तौड़गढ़
 ६.९.२५ शंकर ठाकुर कस्म मुकदमा
 २/११/२५ सन
 २/११/२५ सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
३/१०/२५	<p>पत्रावली चेस हुई। तकील पत्रावली उपरिपत्र। विपक्षी संख्या-१ की तामील हो चुकी है। तबजूद तामील के उपरिपत्र नही होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। तबजूद पक्षीय कार्यवाही को सुना गया। तकील पत्रावली ने पूर्ण आदेशिका दिनांक १-९-२०२५ को कन्फर्म करने हेतु विवेक किया गया। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन पत्रावली पास गया कि पूर्ण आदेशिका दिनांक ३/१०/२५ को कन्फर्म किया जाता उपरिपत्र है। इसीलिए पत्रावली पत्र में तारीख वाद शुरू भारतीय नम्बर ५६६५२२ व ५९५ के अन्तर्गत पत्रावली का १/६ एक डिस्ट्रिक्ट का निर्धारण मूल वाद में तबूद होगा तबतक मूल वाद राजस्व रेकार्ड की व्यवस्थापति बसमें रखेगे हेतु विपक्षीयों को अस्वीकार्यी मिषे धात्रा के रुबगन आदेश से वाबद किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली में मिषिय सुबे न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली केवल सुमार डेकर नम्बर से कम हो</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 इंगला
 जिला-चित्तौड़गढ़

